[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय तस्दीकात [illegible]
[illegible]	...[illegible] पेश हुई। वकलाय [illegible] ...अनुविभागीय अधिकारी [illegible] ...में [illegible] ... 16.02.23 [illegible]
17.02.2023	दिनांक 16.02.2023 को इकजाई ताशिल पेशी पर पत्रावली आज पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीगण ने अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकामान वादी संख्या 1/2 रणजीत सिंह दिनांकित 07.09.2021, वादी संख्या 1/4 भवानीसिंह दिनांकित 18.11.2013 एंव प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् प्रतिवादी संख्या 3 मोहनसिंह दिनांकित 16.04.2018 को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण संख्या 3 के विधिक वारिसान की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री जे0पी0 गूर्जर एड0 ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् को स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। अतः वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् वादी संख्या 1/2 रणजीत सिंह दिनांकित 07.09.2021, वादी संख्या 1/4 भवानी सिंह दिनांकित 18.11.2013 एंव प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् प्रतिवादी संख्या 3 मोहनसिंह दिनांकित 16.04.2018 को स्वीकार किये जाने की अनुमति दी जाती है तथा मृत्तक वादी संख्या 1/2, 1/4 एंव मृत्तक प्रतिवादी संख्या 3 के विधिक वारिसान् को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादीगण संशोधित शीर्षक वाद पत्र पेश करें। इसके साथ ही वकील वादीगण ने प्रार्थी श्री पृथ्वीसिंह पुत्र भागीरथ सिंह के द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री [illegible] मिश्र। एड0 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को प्रार्थी पृथ्वीसिंह की दिनांक 07.07.2020 को मृत्यु हो जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील वादीगण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध फर्द दस्तावेज के संलग्न प्रार्थी पृथ्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 11:44:27 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
सिंह शेखावत के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी पृथ्वीसिंह शेखावत की मृत्यु होना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता श्री रामजीलाल मिश्रा एड0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible]ता आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को खारिज किया जाता है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु एंव वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक वादपत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 3 एंव पेश होने जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 3/1 से 3/4 पत्रावली दिनांक 13.03.2023 को पेश हो।	

दिलीप सिंह
[illegible]खण्ड अधिकारी, श्री[illegible]पुर

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 11:44:27 IST
Reason: SelfAttested